संख्या- 154 /2022/ 1463 /चार-2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2022**

विषय:-आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित लघु /वृत्त चित्र फिल्मों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1266/15(105)/2022-23 दिनांक 03 अगस्त, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित लघु /वृत्त चित्र फिल्मों के निर्माण के संबंध में रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) संस्कृति विभाग के अधीनस्थ संस्थान संलग्न विवरण के अनुसार प्रति जनपद रू0 1.00 लाख की कुल लागत पर लघु/ वृत्तचित्र प्रति फिल्म उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रदेश के 75 जनपदों की कुल निर्मित फिल्मों की संख्या 75 होगी। प्रस्तावित कार्य की कुल अनुमानित धनराशि जी0एस0टी0 सहित रू0 75.00 लाख है।

(3) फिल्म का निर्माण उन्नत तकनीक व फार्मेट (FHD) पर कराया जायेगा। न्यूज रील फार्मेट में फिल्म स्वीकार नहीं की जायेगी।

(4) प्रथम चरण में 25 फिल्मों का निर्माण विभाग की अधीनस्थ संस्थाओं / कार्यालयों के माध्यम से कराया जा रहा है। अवशेष 50 फिल्मों का निर्माण द्वितीय चरण में रू0 1.00 लाख प्रति फिल्म की दर से लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान से कराया जायेगा। उक्त कार्य हेतु रू0 50.00 लाख की धनराशि लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उक्त फिल्मों को डिजिटल फार्मेट में समस्त विद्यालयों/ कॉलेजों/ पुस्तकालयों एवं संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर भी भेजा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-800- अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

संख्या - 154 /2022 / 1463 (1)/चार-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अध्यक्ष/ निदेशक/ सचिव, संबंधित कार्यालय/ संस्थान/अकादमी।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित लघु/ वृत्तचित्र फिल्मों के निर्माण का विवरण

कार्य का स्वरूप	चरण	प्रस्तावित संस्थान	चयनित जनपद	फिल्मों की संख्या	निर्माण लागत
05-07 मिनट की लघु/ वृत्तचित्र	प्रथम	भारतेन्दु नाट्य अकादमी	1 बहराइच 2 बाराबंकी 3 श्रावस्ती 4 संत कबीर नगर 5 उन्नाव	1.00 लाख X 05	5.00 लाख
		उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार	1 रायबरेली 2 मैनपुरी 3 जौनपुर 4 सुल्तानपुर 5 शाहजहांपुर	1.00 लाख X 05	5.00 लाख
		उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग	1 बस्ती 2 आगरा 3 मुरादाबाद 4 फिरोजाबाद 5 जालौन	1.00 लाख X 05	5.00 लाख
		उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय	1 गोरखपुर 2 अयोध्या 3 मेरठ 4 मथुरा 5 वाराणसी	1.00 लाख X 05	5.00 लाख
		लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान	1 झांसी 2 महोबा 3 बरेली 4 प्रयागराज 5 ललितपुर	1.00 लाख X 05	5.00 लाख
	द्वितीय	लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान	शेष 50 जनपद	1.00 लाख X 50	50.00 लाख
	कुल फिल्मों की लागत			75	75.00 लाख

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।